आदेश	कार्यवाही विवरण संजू देवी बनाम रतना वगैरह प्रकरण संख्या 39/2013	अनुपालना के क्रमांक एवं दिनांक
03-09-21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वादी के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी इस कदन पेश कर निवेदन किया गया कि वाद में परिस्थितियां बदलने से कुछ कानूनी पेचिदगीयां होने से दावे में आगे चलकर कानूनी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अभी वाद–पत्र प्रारम्भिक प्रक्रम पर है। वादी इसी स्तर पर विड्रा कर पुनः नया वाद प्रस्तुत किये जोन की अनुमति चाही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के बाबत प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कोई आपति नही होना जाहिर किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली वर्तमान में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी की बहस में विचाराधीन है तथा किसी भी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश नही हुआ है और न ही वाद पत्र में प्रभावी कार्यवाही हुई है। वादी के प्रार्थना पत्र को अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है। इसलिए वादी का यह प्रार्थना पत्र आदेश 23 निमय 01 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर इस वाद पत्र को इसी स्तर पर विड्रा करने व नया वाद पत्र पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा वाद–पत्र को इसी स्तर पर विड्रा के आधार पर निस्तारित किया जाता है तथा वादी को नया वाद–पत्र पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एसीजेएम (फा.ट्रे.)) एसीजेएम(फा.ट्रे.) ए.सी.जे.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:38:16 IST
Reason: SelfAttested